~37

# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

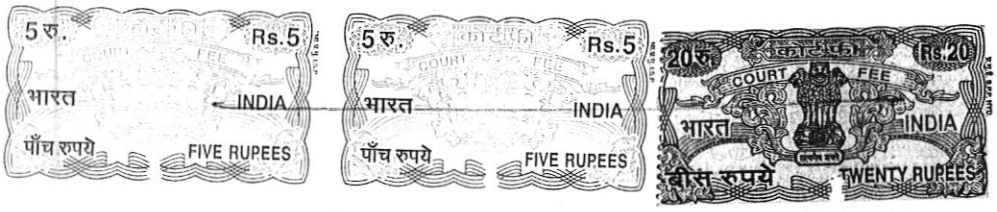

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20 रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

1– आशुतोष पिता ब्यंकटेश वानी    R. 5053-दो/17    Rs.30/-

2– विजय पिता ब्यंकटेश वानी

3– सरस्वती पति ब्यंकटेश वानी

तीनों निवासी गण हनुमना, तह. हनुमना, जिला– रीवा म. प्र.

––––– आवेदक गण

बनाम

1– [illegible] प्रसाद
2– हीरालाल
3– शिवदर्शन

} तीनों के पिता सुवंशलाल कलार

4– प्रयाग पिता गोवर्धन कलार

5– जमुना पिता भइयालाल कलार

सभी निवासी गण सरई, तह. सरई, जिला–सिंगरौली म. प्र .

–––– अनावेदक गण

माननीय राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई, तह. सरई, जिला– सिंगरौली म. प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 03/अ–12/13–14 आदेश दिनांक 30.1.14 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

4.2-17

# न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/5053/दो/17 जिला-सिंगरौली

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22\|5\|18 | आवेदक के अधिवक्ता श्री शशी पाण्डेय उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल सरई, तहसील सरई जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक- 03/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 30.01.14 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमों के साथ धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया।<br>2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आवेदक को बिना पक्षकार बनाये ही आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि प्रकरण जिला सिंगरौली से संबंधित है जबकि आवेदक हनुमना जिला रीवा में निवास करता है। निर्णय की जानकारी नहीं होने के कारण जानकारी दिनांक 19/01/17 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात नकल लेकर दिनांक 03/01/17 को प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 5 के आवेदन दर्शाये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा बताये गये | |

तथ्य समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रकरण लगभग 3 वर्ष पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो अग्राह्य किये जाने योग्य है।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 5 में बताये तथ्य आधारहीन होने से प्रकरण इसी स्तर पर अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य